महत्वपूर्ण

संख्या-86/सैंतीस-2-2018-5(16)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- **प्रमुख सचिव,**
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश ।

3- **निदेशक,**
मण्डी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ ।

4- **निदेशक (प्रशासन एवं विकास),**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 10 जनवरी, 2018

विषयः-प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उ0प्र0 गो सेवा आयोग के पत्र संख्या-1041/ उ0प्र0गो0से0आ0 दिनांक-27.12.2017 एवं निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2402/सा0-2/XII-560/2017-18 दिनांक-04.1.2018 के प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2992(1)/80-1-2015-600(116)/99टीसी दिनांक-08.01.2016 द्वारा निर्गत किये गये थे।

2- उक्त के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक-15.11.2017 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णयानुपालन में प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने हेतु पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2557/सैंतीस-2-2018-5(16)/2017 दिनांक-15.12.2017 द्वारा नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके बिन्दु संख्या-8 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में भरण-पोषण हेतु निम्न व्यवस्था है:-

''वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष माहों की अवधि हेतु पंजीकृत गोशालाओं के निरीक्षण दिवस को गोशाला में उपलब्ध कुल गोवंश (बड़े एवं छोटे) के सापेक्ष रू0 30/- प्रतिदिन/प्रति पशु के हिसाब से मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के सापेक्ष भरण-पोषण हेतु अनुदान देय होगा''।

2(2)akm go

Scanned by CamScanner

3- प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्रतिपादित उक्त नवीन व्यवस्था के क्रम में अध्यक्ष, उ0प्र0 गो सेवा आयोग के पत्र दिनांक-27.12.2017 व तद्क्रम में प्राप्त निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक-04.01.2018 पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-2557/सैंतीस-2-2017-5(16)/2017 दिनांक-15.12.2017 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

''वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के निमित्त प्राप्त प्रस्तावों को, जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति अनुदान की अवधि हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-08.01.2016 के अनुसार एवं पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1303/सैंतीस-2-2015-28(7)/06टीसी दिनांक-08.05.2015 के अनुसार निर्धारित (बड़े पशु रू0 50/- एवं छोटे पशु रू0 25/- प्रतिदिन की दर से) भरण-पोषण धनराशि/अनुदान स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाय''। यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की अवधि के लिए ही अनुमन्य होगी।

4- शासनादेश संख्या-2557/सैंतीस-2-2017-5(16)/2017 दिनांक-15.12.2017 के शेष अंश/व्यवस्थायें यथावत् रहेंगे।

5- यह आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

6- कृपया उपर्युक्त व्यवस्था/दिशा-निर्देशों के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

10.1.18

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-86(1)/सैंतीस-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, उ0प्र0 गो सेवा आयोग, लखनऊ ।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव ।

Scanned by CamScanner